


राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

वित्त विभाग
(नियम डिवीजन)
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज्य कर्मचारी
सामान्य प्रावधायी निधि नियम

RAJASTHAN GOVERNMENT SERVANTS'
GENERAL PROVIDENT FUND RULES,
1997

PREFACE

Rajasthan Government Servants' Provident Fund Rules were first published in the year 1954. Since then, to minimise the difficulties faced by Government servants in getting their Provident Fund claims cleared and to facilitate fast disposal of claims, various amendments, decisions and clarifications have been issued in regard to these Rules from time to time. In light of those changes, the State Government decided to re-write the Rules to simplify the procedures and to incorporate all the changes so as to make them available at one place for ready reference and use. With these objectives in mind, the new General Provident Fund Rules, 1997 have been formulated and are being made effective from 1st June, 1997.

While re-writing these Rules, an effort has been made to simplify the procedure relating to grant of temporary and final withdrawals from the Fund to the Government employees. The Rules have also been made unambiguous, precise and easy to comprehend. Relevant formats have been appended to the Rules so that these become easily available to the Heads of Offices, Heads of Departments and the employees.

The new Rules make the entries in the Pass Book of General Provident Fund contribution of the employees a conclusive proof for the settlement of the claims.

It is hoped that the new version of General Provident Fund Rules, 1997 will prove to be useful in speedier disposal of claims.

It is requested that such errors and omissions as may be noticed, be brought to the notice of the Rules Division of the Finance Department.

Adarsh Kishore

(Dr. Adarsh Kishore)
Principal Finance Secretary
to Government

Jaipur
Dated : May 31, 1997

प्रकथन


राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम सर्वप्रथम 1954 में प्रकाशित किये गये थे। राज्य कर्मचारियों के प्रावधायी निधि के दावों के निस्तारण में जो समस्याएं आती थी, उन्हें दूर करने तथा दावे की राशि के शीघ्र भुगतान की प्रक्रिया को गति देने की दृष्टि से, इन नियमों में समय-समय पुर संशोधन किये गये तथा स्पष्टीकरण व निर्णय दिये गये। प्रक्रियाओं में संशोधन करने की दृष्टि से तथा सभी संशोधनों को सुलभ संदर्भ व उपयोग के लिये एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को 1 जून, 1997 से प्रभावी किया जा रहा है।

इन नियमों को पुनः लिखते समय अस्थायी व स्थायी आहरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। नये नियम स्पष्ट व सूक्ष्म बनाये गये हैं तथा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। नियमों से सम्बन्धित प्रपत्रों को भी नियमों के साथ संलग्न कर प्रकाशित किया गया है ताकि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों व कर्मचारियों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

राज्य कर्मचारियों के दावों के निस्तारण के लिये पास-बुक की प्रविष्टियों को, इन नियमों के अन्तर्गत, पर्याप्त प्रमाण माना गया है।

यह आशा की जाती है कि सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 का यह नया संस्करण कर्मचारियों के दावों के शीघ्र निस्तारण में सहायक तथा कर्मचारी कल्याण हेतु एक सशक्त कदम सिद्ध होगा।

नियमों में यदि कोई अशुद्धि देखी जाये अथवा किसी बिन्दु का समावेश आवश्यक समझा जाये तो निवेदन है कि कृपया इस वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाये।


(डॉ. आदर्श किशोर)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

जयपुर

दिनांक 31 मई, 1997

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग (नियम डिवीजन)

प. 2(1) वित्त/(नियम)/96

जयपुर, मई 31, 1997

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक एवं राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम, 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान राज्य से सम्बंधित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के सामान्य प्रावधायी निधि के अभिदान के प्रयोजनार्थ निम्न लिखित नियम बनाती है :-

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance Department (Rules Division)

No. F. 2(1)FD(Rules)/96

Jaipur, May 31, 1997

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution and Rule 21 of Rajasthan Service Rules, 1951 the State Government hereby makes the following Rules regarding subscription towards General Provident Funds of persons appointed to service and posts in connection with the affairs of Rajasthan.

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधानी निधि नियम, 1997

1. शीर्षक एवं लागू होने की तिथि :-

- (1) ये नियम राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधानी निधि नियम, 1997 कहलायेंगे ।
(2) ये नियम 1, जून, 1997 से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषायें :-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हों :-

- (i) "खाता" अभिप्राय विभाग के पास खाताधारक के उस खाते से है, जिसमें विभाग द्वारा उसकी समस्त जमा राशि एवं ब्याज जमा किया जाता है एवं आहरण नामे लिखा जाता है ।
(ii) "खाताधारक" से अभिप्राय उस अभिदाता से है जिसे इन नियमों के अन्तर्गत प्रावधानी निधि खाते में अंशदान करना आवश्यक है ।
(iii) "विभाग" से तात्पर्य राजस्थान सरकार का राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग है ।
(iv) "निदेशक" अभिप्राय राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के निदेशक से है एवं इसमें विभाग में नियुक्त अतिरिक्त/उप एवं सहायक निदेशक सम्मिलित हैं ।
(v) "परिवार" से अभिप्राय :
(अ) पुरुष अभिदाता के मामले में पत्नी अथवा पत्नियां, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिने, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे और अगर अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं है तो दादा-दादी ।

**RAJASTHAN GOVERNMENT SERVANTS' GENERAL
PROVIDENT FUND RULES, 1997**

1. Title and Commencement :-

- (1) These rules shall be called the Rajasthan Government Servants' General Provident Fund Rules, 1997.
- (2) They shall come into force on the 1st Day of June, 1997

2. Definitions :

In these rules unless the context otherwise requires :

- (i) **"Account "** means the account of the account holder with the department in which all his deposits and interest are credited and withdrawals debited.
- (ii) **"Account Holder"** means the subscriber who is required to subscribe to provident fund account under these rules.
- (iii) **"Department"** means department of State Insurance and Provident Fund, Government of Rajasthan
- (iv) **"Director"** means the Director of State Insurance and Provident Fund Department and includes " Additional ", "Deputy" and "Assistant" Director appointed in the Department.
- (v) **" Family"** means :-
 - (a) in the case of **male subscriber**, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

परन्तु अगर अभिदाता यह सिद्ध कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे पृथक करदी गई है या जिस समुदाय से वह सम्बंधित है, उस की रूढ़िजन्य विधि के अधीन वह भरण पोषण की हकदार नहीं रही है तो वह इन नियमों के अन्तर्गत परिवार की सदस्य तब तक नहीं मानी जायेगी जब तक कि अभिदाता बाद में निदेशक को इस सम्बंध में सदस्य माने जाने के लिए लिखित में सूचित नहीं कर देता है ।

(ब) महिला अभिदाता के मामले में पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे और जहां पर माता-पिता जीवित नहीं हों तो दादा-दादी ।

परन्तु यदि अभिदाता द्वारा निदेशक को लिखित में अपने पति को परिवार से अपवर्जित करने की इच्छा अभिव्यक्त की जाती है तो पति इन नियमों के संदर्भ में अभिदाता के परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित में निरस्त नहीं कर दे ।

(vi) "निधि" से अभिप्राय सामान्य प्रावधायी निधि से है जिसमें विभागद्वारा सामान्य प्रावधायी निधि योजना से सम्बंधित समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान किये जाते हैं ।

(vii) "सरकार" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है ।

(viii) "कार्यालय अध्यक्ष" से अभिप्राय सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम, 1993 के अन्तर्गत प्रावधित अथवा घोषित कार्यालयाध्यक्ष से है ।

(ix) "वेतन" से अभिप्राय राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अन्तर्गत परिभाषित वेतन से है ।

(x) "पासबुक" से अभिप्राय उस पास बुक से है जो अभिदाता को इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी की गई है एवं सत्यापित की गई है ।

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Director that she shall continue to be so regarded;

- (b) in the case of **female subscriber**, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Director expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

- (vi) "**Fund**" means the General Provident Fund to which all receipts and disbursements of the department in connection with GPF Scheme are carried.
- (vii) "**Government**" means Government of Rajasthan.
- (viii) "**Head of the Office**" means head of the office as provided or declared under the General Financial & Accounts Rules, 1993.
- (ix) "**Pay**" means Pay as defined in the Rajasthan Service Rules, 1951.
- (x) "**Pass Book**" means the pass book issued to the Account holder by the Department/ Head of Office and verified in accordance with the provisions of these rules.

(xi) "प्रावधानी निधि योजना" से अभिप्राय इन नियमों में वर्णित सामान्य प्रावधानी निधि योजना से है ।

(xii) "राज्य" से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है ।

(xiii) "अभिदाता" से अभिप्राय राज्य सरकार के कर्मचारी से है जो कि सम्बंधित भर्ती नियमों के अन्तर्गत नियुक्त/ नियमित हो या जिला परिषद या पंचायत समिति या विनिर्दिष्ट संस्थानों में उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी से है ।

3. प्रावधानी निधि योजना में अनिवार्य अभिदान :-

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो सरकार में या जिला परिषद या पंचायत समिति या ऐसे विनिर्दिष्ट संस्थानों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस विषयक आदेशों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया हो, में संस्थाई पद अथवा अस्थाई पद पर, जिसके स्थायी होने की संभावना हो, पर स्थायी रूप से अथवा अस्थाई रूप से नियुक्त हो, विभाग की प्रावधानी निधि योजना में अनिवार्य रूप से अभिदान करेगा ।

(2) खाताधारक की राज्य सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति अथवा विनिर्दिष्ट संस्थान, जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत सेवा समाप्ति पर यह योजना लागू नहीं रहेगी ।

टिप्पण :- वे अभिदाता जो सेवा निवृत्ति के बाद एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किये गये हों, भी अभिदान करेंगे ।

4. सेवा निवृत्ति पश्चात खाताधारक को खाता चालू रखने का विकल्प :-

(1) किसी भी अभिदाता को इस योजना के उस पर लागू ना रहने के अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक अपने खाते को विभाग में चालू रखने के लिए विकल्प होगा ।

(2) परिवर्धित अवधि में खाते से राशि के प्रत्याहरण की अनुमति नहीं होगी । ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि परिवर्धित अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद खाताधारक को भुगतान की जावेगी ।

- (xi) **"Provident Fund Scheme"** means the General Provident Fund Scheme as described in these rules.
- (xii) **" State"** means the State of Rajasthan.
- (xiii) **" Subscriber"** means an employee of the State Government appointed/ regularised under relevant recruitment Rules, or an employee of the Zila Parishad or Panchayat Samiti or specified organisation appointed under rules applicable to him.

3. Compulsory Subscription to Provident Fund Scheme : -

- (1) Every person appointed to a substantive post or temporary post likely to be made substantive, whether permanently or temporarily under the Government, or to a post in Zila Parishad, Panchayat Samiti or such organisation specified by the Government by an order issued to that effect, shall subscribe to the Provident Fund Scheme of the Department.
- (2) The Scheme shall cease to be applicable to the Account holder upon ceasing of his employment with State Government, Zila Parishad, Panchayat Samiti or specified organisation as the case may be.

Note : Subscriber who has been reappointed after retirement for more than one year at a time shall also subscribe.

4. Account holder to have the option of continuing with account after retirement :-

- (1) An account holder shall have the option of continuing his Provident Fund Account with the department for a maximum period of one year from the date the Scheme ceases to be applicable to him.
- (2) No withdrawals shall be permitted from the Account during the extended period. The entire balance along with interest shall be paid to such account holder immediately upon expiry of extended period.

5. नाम निर्देशन :-

- (1) निधि में सम्मिलित होते समय अभिदाता अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से एक अथवा अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नाम निर्देशन करेगा, जिसे उसके खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई हो तो उसके भुगतान होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में निधि में जमा रकम प्राप्त करने का अधिकार होगा । परन्तु यदि अभिदाता अवयस्क हो तो उसके वयस्क होने पर ही नाम निर्देशन किया जाना आवश्यक होगा । परन्तु नाम निर्देशन पंजिकृत कराते समय अभिदाता का परिवार होने की स्थिति में वह परिवार के सदस्य / सदस्यों के पक्ष में ही नाम निर्देशन कर सकेगा । परन्तु यह भी कि, निधि में सम्मिलित होने से पूर्व किसी अन्य प्रावधानी निधि में संदाय करने वाले अभिदाता द्वारा उस निधि में पंजिकृत करवाया गया नाम निर्देशन, यदि उस निधि में जमा राशि इस निधि में अन्तर्गत कर दी गई है, तो इन नियमों के अन्तर्गत जब तक वह नया नाम निर्देशन नहीं करता, इन नियमों में किया हुआ माना जायेगा ।
- (2) यदि अभिदाता उप नियम (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशित करता है तो मनोनयन में प्रत्येक मनोनीत को प्राप्त होने वाली राशि या उसके भाग को इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि निधि में किसी भी समय जमा उसकी सम्पूर्ण राशि इसके अन्तर्गत समाहित हो जाये ।
- (3) प्रत्येक नाम निर्देशन निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावेगा ।
- (4) अभिदाता किसी भी समय लिखित रूप से निदेशक को सूचित कर किये गये नाम निर्देशन को निरस्त करवा सकता है ।

5. **Nominations :-**

- (1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Director through the Head of Office a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid;

Provided that where a subscriber is a minor, he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority.

Provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family.

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other Fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

- (2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.
- (3) Every nomination shall be made in the form prescribed by the Director.
- (4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Director.

अभिदाता ऐसी सूचना के साथ अथवा अलग से इन नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुरूप नया नाम निर्देशन प्रस्तुत करेगा ।

(5) अभिदाता नाम निर्देशन में प्रावधान कर सकता है कि :-

(अ) किसी विनिर्दिष्ट मनोनयन के संदर्भ में, मनोनीत की अभिदाता से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उस मनोनीत के अधिकार मनोनयन प्रपत्र में निर्दिष्ट किये गये अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों को हस्तान्तरित होंगे परन्तु यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य हैं तो ऐसा मनोनयन परिवार के सदस्य / सदस्यों के लिए ही मान्य होगा । इस खण्ड के अन्तर्गत यदि अभिदाता ऐसा अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान करता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली राशि / भाग का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि पूर्व में मनोनीत को प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि / भाग इसके अन्तर्गत समाहित हो जायें ।

(ब) मनोनयन में किसी निर्दिष्ट आकस्मिक घटना के घटित होने की स्थिति में मनोनयन अवैध हो जावेगा ।

परन्तु मनोनयन पंजीकृत कराते समय यदि अभिदाता के परिवार में केवल एक ही सदस्य है तो वह मनोनयन में प्रावधान करेगा कि खण्ड (अ) में वैकल्पिक मनोनीत को प्रदत्त अधिकार परिवार के अन्य सदस्य / सदस्यों के परिवार में शामिल हो जाने पर अमान्य हो जायेंगे ।

(6) ऐसे मनोनीत, की मृत्यु की दशा में, जिस के संदर्भ में उप नियम (5) के खण्ड (अ) के अन्तर्गत मनोनयन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया हो या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण उप नियम (5) के खण्ड (ब) या उसके परन्तुक के

The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination -

(a) In respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to each of such persons, in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) That the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein :

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5) or the proviso thereto,

अनुसरण में मनोनयन अमान्य हो जाता है, इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नये मनोनयन के साथ उक्त मनोनयन को निरस्त करने हेतु लिखित में सूचना भेजेगा ।

(7) अभिदाता द्वारा किये गये मनोनयन एवं निरस्तीकरण की सूचना, वैध होने की स्थिति में इसके निदेशक को प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

6. निधि का लेखा एवं इसका अंकेक्षण :-

- (1) अभिदाताओं से प्राप्त सभी प्राप्तियां सामान्य प्रावधायी निधि में जमा की जावेगी एवं सभी आहरण इस निधि के नामे लिखे जायेंगे ।
- (2) सरकार प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के आरंभ में निधि के खाते में अवशेष जमा राशि पर एक वर्ष का एवं वर्ष के दौरान शुद्ध प्राप्तियों पर मासिक गुणन के आधार पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा समय समय पर निर्दिष्ट दर से ब्याज जमा करेगी ।
- (3) निधि के खाते प्रति वर्ष 30 सितम्बर तक बंद किये जायेंगे और महालेखाकार, राजस्थान द्वारा अंकेक्षित किये जायेंगे ।

7. निधि की प्रशासनिक सूचना :-

गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधायी निधि योजना की प्रशासनिक एवं कार्य कलापों की रिपोर्ट प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व निदेशक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

8. अभिदाता द्वारा प्रथम जमा :-

वे समस्त अभिदाता, जिन पर यह नियम लागू हैं, सरकार / जिला परिषद / पंचायत समिति या विनिर्दिष्ट संस्थान, जैसा भी मामला हो, में सेवा में आने के माह के वेतन से ही प्रथम कटौती जमा करवायेंगे ।

the subscriber shall send to the Director a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

- (7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Director.

6. Fund Account and its Audit :

- (1) All the deposits received from the subscribers shall be credited into a Fund called General Provident Fund and all withdrawals made from it shall be debited to it.
- (2) The Government shall credit interest at the rate of 12% per annum or as specified from time to time every year on the balance standing to the credit of the fund account in the beginning of the financial year for one year and by months product basis on net receipts during the year.
- (3) The accounts of the Fund shall be closed by 30th September each year and shall be audited by the Accountant General Rajasthan.

7. Administrative Report of the Fund :

A report as to the administration and affairs of the provident fund scheme during the previous financial year shall be submitted by the Director to the Government before 31st December each year.

8. First Deposit by Account holder :

All persons to whom these rules apply shall make their first deposit from the pay of the month in which they join the service of the Government / Zila Parishad / Panchayat Samiti or other specified organisation as the case may be.

9. प्रथम जमा के साथ समस्त नये अभिदाताओं की सूची प्रस्तुत की जावेगी :-

प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष वेतन बिल के साथ निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी नये अभिदाताओं की सूची संलग्न करेंगे ।

10. खाता संख्या एवं पास बुक :-

- (1) प्रत्येक अभिदाता को उसकी प्रथम जमा के 60 दिवस की अवधि में उप/सहायक निदेशक द्वारा खाता संख्या आवंटित की जायेगी ।
- (2) प्रत्येक अभिदाता को खाता संख्या की सूचना के साथ ही निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाग के उप/सहायक निदेशक द्वारा सत्यापित प्रथम कटौती की प्रविष्टि सहित पास बुक उपलब्ध कराई जावेगी ।
- (3) अभिदाता द्वारा उसके वेतन बिल से कटौती की गई या कोष में नकद जमा कराई गई सभी जमाओं को कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पास बुक में प्रत्येक 3 माह में सत्यापित किया जावेगा ।
- (4) अभिदाता द्वारा पास बुक प्रस्तुत किये जाने पर प्रति वर्ष विभाग द्वारा उसमें ब्याज प्रविष्टि एवं अवशेष आदिनांक किया जावेगा ।

11. खाते में की जाने वाली जमा :-

(1) कोष से आहरित वेतन बिल से प्रत्येक खाताधारक को अनिवार्य रूप से निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी :-

(i) अभिदाता के वेतन के अनुसार निर्धारित मासिक अभिदाय की दरें :-

<u>वेतन खण्ड</u>	<u>कटौती की दर</u>
रु. 750 से 1200 तक	120/-
रु. 1201 से 1600 तक	180/-
रु. 1601 से 2000 तक	200/-
रु. 2001 से 2500 तक	320/-
रु. 2501 से 4000 तक	500/-
रु. 4000 से अधिक	840/-

9. **List of all new subscribers to be filed with first Deposits :**

Every head of office shall file a list of all new subscribers in the form prescribed by the Director with each salary bill.

10. **Account Number and the Pass Book :**

- (1) Every account holder shall be allotted his Account Number within 60 days of his first deposit by the Deputy/Assistant Director.
- (2) Every Account holder shall be supplied with a Pass Book in the format prescribed by the Director along with intimation of his account number with the entry of first deposit duly verified by Deputy/Assistant Director of the Department.
- (3) All deposits made by the account holder by way of deductions through salary bill or deposited in cash in treasury shall be verified in the pass book every three months by the head of office/drawing disbursing officer.
- (4) The pass book shall be updated for interest entry and balance every year by the department upon presentation thereof by the account holder.

11. **Deposits to be made in the Account :**

- (1) Every Account holder shall be required to compulsorily deposit the following amounts out of his pay bill drawn through treasury.

- (i) Monthly deposit depending upon the pay of the subscriber at the rates prescribed below :-

<u>Pay Slabs</u>	<u>Rate of deduction</u>
Rs. 750 to 1200	120/-
Rs. 1201 to 1600	180/-
Rs. 1601 to 2000	200/-
Rs. 2001 to 2500	320/-
Rs. 2501 to 4000	500/-
Above Rs. 4000	840/-

- (ii) राज्य सरकार द्वारा जमा कराये जाने के लिए आदेशित अन्य कोई राशि ।
- (iii) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91 ए के अनुसार अध्यक्ष अवकाश के नकदीकरण में से निर्धारित जमा ।
- (iv) निलम्बन की अवधि में अभिदाय की राशि की कटौती नहीं की जायेगी ।

टिप्पण :-

- (अ) जहां अभिदाता का वेतन कोष के माध्यम से वेतन बिल से आहरित नहीं किया जाता हो तो वह अभिदाय की राशि चालान अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा विभाग के नाम जमा करायेंगा ।
- (ब) अभिदाता द्वारा वर्ष के दौरान उसकी कुल वार्षिक परिलब्धियों में से उपरोक्त (i), (ii), एवं (iii) में वर्णित राशि के कम करने के पश्चात शेष से अधिक राशि स्वैच्छिक रूप से जमा नहीं कराई जा सकेगी ।

12. जमा का बंद होना :-

अभिदाता की मृत्यु, सेवा से त्याग पत्र, पदच्युत कर दिये जाने, हटाये जाने, सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश पर जाने या सेवा निवृत्ति से 3 माह पूर्व उसकी कटौती बंद हो जायेगी ।

13. जमा की वसूली :-

कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके कार्यालय के सब अभिदाताओं के वेतन बिलों से अथवा अन्य प्रकार से प्रतिमाह नियम 11 में निर्दिष्ट के अनुसार कटौती की जाती है । यदि अभिदाताओं से निर्धारित की गई कटौती नहीं की गई हो तो विभाग ऐसे किसी भी वेतन बिल का भुगतान रोकने के लिये अधिकृत होगा ।

- (ii) Any other amount ordered to be deposited by the State Government
- (iii) The prescribed deposit out of surrender leave encashment as per Rule 91A of the Rajasthan Service Rules.
- (iv) No subscription shall be deducted during the period of suspension.

Note :

- (a) Wherever, the subscriber's salary is not drawn by a pay bill drawn through treasury, he shall deposit the same through challan or by way of a demand draft in the name of Department.
- (b) Any amount not exceeding the total annual emoluments during the year after reducing the amount mentioned in (i), (ii) & (iii) above can be deposited voluntarily by the Account holder.

12. Deposits to Cease :-

The deposits by the subscriber shall cease upon his death, quitting the service, dismissal/removal from the service, proceeding on leave preparatory to retirement or three months before retirement.

13. Recovery of Deposits :-

The head of the office shall be responsible for ensuring that the deposits specified in Rule 11 are deducted for all subscribers in his office from the pay bill or otherwise, every month. The department shall be entitled to stop payment of any salary bill if the requisite deposit in respect of subscribers has not been made.

14. ब्याज :-

(1) ब्याज कब जमा किया जाता है :-

(अ) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एवं दौरान की गई जमा के लिये आगामी अप्रैल माह में अभिदाता के खाते में ब्याज जमा किया जायेगा । ब्याज की गणना करते समय अस्थाई अथवा स्थाई आहरण आहरित करने के माह में समायोजित किये जायेंगे ।

(ब) नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार खाते में कटौती होना बंद हो जाने पर या नियम 3 (2) के प्रावधानों के अनुसार अभिदाता पर योजना लागू नहीं रहने पर विभाग द्वारा खाता निस्तारित किये जाने के माह तक के ब्याज का भुगतान किया जायेगा ।

(2) ब्याज की दर :

ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष या समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार होगी ।

(3) ब्याज जमा करने की पद्धति :

प्राप्ति / आहरण, जिस माह में जमा अथवा आहरण किया गया है में, जैसा भी मामला हो, तिथि का विचार किये बिना समायोजित करते हुए ब्याज की गणना मासिक गुणन आधार पर की जायेगी । परन्तु नियम 11 (i) (ii) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेशित जमा राशि पर ब्याज की गणना विभाग में प्राप्त होने की तिथि का विचार किये बिना राशि जमा के आदेश प्रसारित किये जाने की तिथि से की जायेगी ।

15. अस्थायी प्रत्याहरण :-

(1) कोई भी अभिदाता निधि से अपने खाते में अवशेष राशि के 50 प्रतिशत अथवा 3 माह के मूल वेतन, जो भी कम हो, के बराबर राशि निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक कारणों से अस्थायी रूप से प्रत्याहरण करने का पात्र होगा :-

14. **Interest :-**

(1) **Interest when credited :-**

- (a) Interest shall be credited into the account of account holder in the month of April of the following year for deposits at the beginning and during the financial year. Withdrawal, temporary or permanent shall be adjusted in the month of drawal while calculating interest.
- (b) In the case of closure of the account upon ceasing of deposit in accordance with the provisions of rule 12 or upon the scheme becoming non-applicable to the account holder as per the provisions of rule 3(2), the interest shall be paid upto the month in which account is settled by the department.

(2) **Rate of interest :-**

The rate of interest shall be 12% per annum or as decided by the State Government from time to time.

(3) **Method of crediting interest :**

Interest shall be calculated by months product basis taking the deposits and withdrawals made in the month of receipt or withdrawal as the case may be irrespective of the date. However, interest on amount ordered to be impounded by State Government under rule 11(i) (ii) shall be given from the date of impounding order irrespective of the date on which it was received in the department.

15. **Temporary withdrawals :**

(1) **Temporary withdrawal from the fund :**

An account holder shall be entitled to withdraw temporarily an amount equal to 50% of the balance in his account or three months basic pay whichever is less for one or more of the following reasons :

- (अ) अभिदाता की स्वयं, और उसके परिवार के सदस्यों अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति, जो वास्तविक रूप से उस पर आश्रित हों, की रूग्णता, प्रसूति या अशक्तता सम्बंधी व्ययों का, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय सहित भुगतान ।
- (ब) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति, जो वास्तव में उस पर आश्रित हो, की उच्च शिक्षा एवं, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय सहित व्ययों की पूर्ति हेतु :-
- (i) भारत से बाहर सेकन्डरी स्कूल के स्तर के ऊपर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या वृत्तिक शिक्षा, और
- (ii) भारत के सेकन्डरी स्कूल स्तर से ऊपर आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिक या अन्य तकनीकी या विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु अध्ययन का यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम अवधि का न हो ।
- (स) अभिदाता की हैसियत के अनुरूप अभिदाता द्वारा सगाई, विवाह, अंतिम संस्कार या अन्य संस्कारों पर किये जाने वाले व्यय का संदाय, जो रूढिगत प्रथा के अनुसार आवश्यक हो ।
- (द) अभिदाता, उसकी संतानों या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही के व्यय का संदाय करने हेतु । इस प्रकार के मामलों में स्वीकृत अग्रिम इन्हीं मामलों में अन्य सरकारी साधनों से स्वीकृत अग्रिम के अतिरिक्त हो गा ।
- (य) अभिदाता उसके विरुद्ध अभिकथित पदीय अवचारों के सम्बंध में चल रही किसी जांच में स्वयं के बचाव के लिये किसी अधिवक्ता की सेवा लेने पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए ।

- (a) To pay expenses in connection with illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;
- (b) To meet cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :-
 - (i) For education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the Secondary School stage ; and
 - (ii) For any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the Secondary School stage, provided that the course of study is for not less than three years;
- (c) To pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies ;.
- (d) To meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source .
- (e) To meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(र) अभिदाता के स्वयं या उसके पति / पत्नि के भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के व्यय की पूर्ति के लिए ।

(2) अस्थायी प्रत्याहरण स्वीकृति की प्रक्रिया :-

(अ) अभिदाता निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने कार्यालयाध्यक्ष को अस्थायी प्रत्याहरण हेतु आवेदन करेगा । प्रार्थना पत्र के साथ वह आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आदिनांक पूर्ति की हुई एवं विभाग द्वारा सत्यापित पास बुक संलग्न करेगा ।

(ब) कार्यालयाध्यक्ष निदेशक द्वारा निर्धारित स्वीकृति एवं बिल प्रपत्र में चार प्रतियों में स्वीकृति जारी करेगा और पास बुक संलग्न करते हुए उक्त बिल को पारित कराने हेतु सम्बंधित कोष में प्रेषित करेगा ।

(स) कोष में विभाग का अधिकृत लिपिक बिल तथा पास बुक की जांच करेगा एवं बिल पारित करेगा और पास बुक में आहरण की प्रविष्टि करेगा । वह स्वीकृति आदेश की एक प्रति विभाग के उपयोग के लिए अपने पास रखेगा ।

टिप्पण :-

कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के अस्थायी प्रत्याहरण के मामलों में उक्त (ब) के अनुसार स्वीकृति उसके अगले उच्च अधिकारी द्वारा अथवा विभाग के सम्बंधित जिले के उप/ सहायक निदेशक द्वारा जारी की जा सकेगी ।

(द) किसी भी अभिदाता को उसके द्वारा पूर्व में लिये गये अग्रिम की अंतिम किश्त की अदायगी से पूर्व कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(3) अस्थायी प्रत्याहरण की अदायगी :-

अस्थायी प्रत्याहरण की राशि ऐसे प्रत्याहरण के आगामी माह से आरंभ की जाकर 24 समान किश्तों या अभिदाता द्वारा अनुरोध किये जाने पर कम किश्तों में वापस की जायेगी ।

- (f) To meet the cost of repair and renewal of house owned by him or his/her spouse.

(2) Procedure for Sanctioning temporary withdrawal :-

- (a) The account holder shall apply to his head of office for temporary withdrawal in the form prescribed by the Director. He shall enclose the pass book duly completed by the Drawing and Disbursing Officer and verified by Department along with application.
- (b) The Head of office shall issue sanction in four copies in the sanction cum bill form prescribed by the Director and send the same to the concerned Treasury along with the pass book for passing the bill.
- (c) The authorised clerk of the department in the treasury shall examine the bill and the pass book, he shall pass the bill and make the entry of withdrawal in the pass book. He shall retain one copy of sanction cum bill for use in the department.

Note :

In case of temporary withdrawal by Head of office himself the sanction in (b) above can be issued by his next higher authority or the Deputy/Assistant Director of the concerned district.

No advance shall be granted to any subscriber before repayment of last instalment of previous advance.

(3) Refund of temporary withdrawal :

The temporary withdrawal shall be refunded in 24 equal instalments beginning with the month following the month of such withdrawal or such less instalments as requested by the subscriber.

16. स्थायी प्रत्याहरण :-

खाते से स्थायी प्रत्याहरण केवल निम्नलिखित मामलों में स्वीकृत किया जावेगा :-

- (अ) 15 वर्ष की सेवा अवधि (भंग सेवा अवधि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) के बाद या सेवा निवृत्ति की तिथि से दस वर्ष पूर्व, जो भी पहले हो, नियम 17 में वर्णित निर्दिष्ट उद्देश्यों एवं सीमा तक के लिए ।
- (ब) नियम 18 में वर्णित सीमा तक भवन निर्माण हेतु अभिदाता के सेवा काल में किसी भी समय ।
- (स) अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति से पूर्व 12 माह में बिना किसी कारण के निधि से उसके खाते में जमा के 90 प्रतिशत तक राशि ।

परन्तु यदि किसी समय उसी प्रयोजन के लिये नियम 15 के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत किया जा रहा है तो इस नियम के अन्तर्गत आहरण स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।

17. भवन निर्माण के अतिरिक्त स्थायी उद्देश्यों के लिए प्रत्याहरण :-

- (1) निधि में अभिदाता के खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत स्थायी आहरण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए :-
- (अ) अभिदाता या उसकी किसी सन्तान की उच्च शिक्षा के व्ययों एवं, जहां आवश्यक हो, उक्त उद्देश्य के यात्रा व्यय को सम्मिलित करते हुए व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न मामलों में :-
- (i) भारत के बाहर सेकंडरी स्कूल स्तर से ऊपर शैक्षणिक, प्रावैधिक, व्यवसायिक या वृत्तिक पाठ्यक्रम के लिए ।
- (ii) भारत में सेकंडरी स्कूल स्तर से ऊपर आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिक या अन्य प्रावैधिक या विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु अध्ययन का यह पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम अवधि का न हो ।

16. Permanent withdrawal :-

Permanent withdrawal shall be allowed from the account only in the following cases :

- (a) After fifteen years of service (including broken periods of service , if any) or ten years before the date of his retirement whichever is earlier to the extent and for specified purposes as mentioned in Rule 17.
- (b) Any time during the service of a subscriber to the extent mentioned in Rule 18 for housing purposes.
- (c) Within twelve months before the date of subscriber's retirement on superannuation without linking to any purpose upto 90% of the amount standing to the credit in the Fund.

Provided that a withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under Rule 15 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

17. Permanent withdrawal for purposes other than housing :-

- (1) Permanent withdrawal upto 50% of the amount standing to the credit of the subscriber for the following purposes :
 - (a) Meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely ;
 - (i) For education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the Secondary School stage; and
 - (ii) For any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the Secondary School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

- (ब) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता-पिता की रूग्णता के व्यय, जहां आवश्यक हो, उसके यात्रा व्यय सहित व्यय की पूर्ति हेतु ।
- (स) जीप/मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर आदि खरीदने हेतु परन्तु शर्त यह होगी कि इन उद्देश्यों के लिए प्रत्याहरण खरीदे गए वाहन की कीमत के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
- (द) स्थायी उपभोग की वस्तुएँ जैसे रेफरीजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन आदि के मूल्य पूर्ति के लिए परन्तु शर्त यह होगी कि ऐसे उद्देश्यों के लिए आहरण की राशि खरीदे गये उपकरण के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।
- (2) अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों / पुत्रियों की सगाई/ विवाह के व्ययों की पूर्ति के लिए निधि में अभिदाता के खाते में जमा का 75 प्रतिशत स्थायी आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा ।

18. भवन हेतु स्थायी आहरण :-

अभिदाता के खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत स्थायी आहरण उसे निम्नलिखित प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा सकता है :-

- (अ) अपने स्वयं के निवास के लिए भवन निर्माण करने या भूमि के मूल्य सहित निर्मित आवास / फ्लैट अधिग्रहित करने या जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल या नगर निगम / नगर पालिका द्वारा आवंटित भूखण्ड या फ्लैट का मूल्य भुगतान करने हेतु ।
- (ब) अपने निवास के लिए भवन निर्माण कराने या निर्मित आवास/फ्लैट कय करने के उद्देश्य से लिये गये ऋण की बकाया राशि के भुगतान हेतु ।

(27)

- (b) Meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family and parents dependent on him/her.
 - (c) Meeting the cost of purchases of Jeep / Motor Car / Motor Cycle, Scooter etc. subject to the condition that withdrawal for such purposes shall not be sanctioned for more than 75% of the cost of vehicle purchased.
 - (d) Meeting the cost of purchases of consumer durable items like Refrigerator, Television, Air Conditioner, Washing Machine etc. subject to the condition that withdrawal for such purposes shall not be sanctioned for more than 75% of the cost of such equipment purchased.
- (2) Permanent withdrawal upto 75% of the amount standing to the credit of subscriber may be sanctioned for meeting the expenditure in connection with the betrothal / marriage of the subscriber or his / her sons or daughters.

18. Permanent withdrawal for housing :-

Permanent withdrawal upto 75% of the amount standing to the credit of subscriber may be sanctioned for following purposes :-

- (a) Building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Jaipur Development Authority, U.I.T., State Housing Board or Municipal Corporation / Municipality;
- (b) Repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;

- (स) अपने निवास हेतु भवन निर्माण करने के लिए भूखण्ड क़य करने हेतु एवं इस हेतु लिये गये ऋण की बकाया राशि भुगतान करने हेतु ।
- (द) अभिदाता द्वारा पूर्व में ही निर्मित अथवा अधिग्रहित भवन या आवास के पुनर्निर्माण, विस्तार अथवा परिवर्धन हेतु ।
- (य) पूर्वजों के मकान या सरकार की सहायता अथवा ऋण से निर्मित मकान के नवीनीकरण, विस्तार या परिवर्धन या मरम्मत हेतु ।
- (र) उप धारा (स) के अन्तर्गत क़य किये गये भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु ।

टिप्पण :-

- (1) यदि अभिदाता के पास पूर्वजों का मकान या सरकार से लिये गये ऋण की सहायता से उसके पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भवन निर्माण किया गया है तो वह नियम 18 के खण्ड (अ), (स) एवं (र) के अन्तर्गत अपने पदस्थापन स्थान पर भूखण्ड खरीदने या दूसरा भवन निर्माण करने या निर्मित आवास अधिग्रहित करने हेतु स्थायी आहरण स्वीकृत कराने का पात्र होगा ।
- (2) नियम 18 (अ), (द), (य) या (र) में अभिदाता द्वारा निर्माण विस्तार, परिवर्धित किये जाने वाले मकान की अनुमानित लागत एवं योजना का नक्शा, जिस क्षेत्र में मकान / भूखण्ड आवंटित है के स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित, जहां ऐसा वास्तव में कराना आवश्यक है, प्रस्तुत करने पर ही स्थायी आहरण स्वीकृत किया जावेगा ।
- (3) नियम 18 के खण्ड (ब) के अन्तर्गत स्वीकृत आहरण की राशि पूर्व में खण्ड (अ) के अन्तर्गत लिये गये आहरण की राशि को शामिल करते हुए आवेदन करने की दिनांक को अभिदाता के खाते में जमा राशि के $3/4$ से अधिक नहीं होगी । इससे पूर्व में लिया गया आहरण कम किया जायेगा । इस सम्बंध में अपनाया जाने वाला सूत्र इस प्रकार है :-

$3/4$ (अवशेष + पूर्व प्रत्याहरण) - पूर्व प्रत्याहरण

- (c) Purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;
- (d) Reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;
- (e) Renovating, additions or alterations or to upkeep of the ancestral house or a house built with the assistance or loan from Government;
- (f) Constructing a house on a site purchased under clause (c)

Notes :

- (1) If a subscriber has an ancestral house, or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clause (a), (c) and (f) of Rule 18 for purchase of a house-site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.
- (2) Withdrawal under sub-clauses (a), (d), (e) or (f) of Rules 18 shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan and estimated cost of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.
- (3) The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of Rule 18 shall not exceed $\frac{3}{4}$ th of the balance on the date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is : $\frac{3}{4}$ th of { the balance as on date plus amount of previous withdrawal (s) for the house in question } minus the amount of the previous withdrawal (s).

- (4) यदि मकान का भूखण्ड अथवा मकान अभिदाता के पति/ पत्नि के नाम हैं और अभिदाता द्वारा मनोनयन में उसे प्रावधानी निधि राशि प्राप्त करने के लिये प्रथम मनोनीत नियुक्त किया गया है तो नियम 18 के खण्ड (अ) या (ब) के अन्तर्गत आहरण स्वीकृति योग्य होगा।
- (5) इस नियम के अन्तर्गत एक प्रयोजन के लिए केवल एक ही आहरण देय होगा परन्तु मकान अथवा फ्लैट विस्तार और परिवर्धन की नई योजना स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित हो तो समान प्रयोजन नहीं माना जावेगा। नियम 18 के खण्ड (अ) या (र) के अन्तर्गत उसी मकान को पूर्ण कराने हेतु टिप्पण (3) में दी गई सीमा के अन्तर्गत द्वितीय एवं आगामी आहरण देय होंगे।

19. स्थायी आहरण की प्रक्रिया :-

- (i) अभिदाता नियम 16, 17 या 18 में वर्णित पात्रता एवं सीमा तक, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपनी पास बुक के साथ प्रार्थना पत्र स्थायी आहरण स्वीकृति हेतु विभाग को प्रस्तुत करेगा।
- (ii) अभिदाता के पदस्थापन के जिले में विभाग के उप/सहायक निदेशक स्थायी आहरण स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।
- (iii) विभाग निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्थायी आहरण का स्वीकृति बिल जारी करेगा। स्वीकृति आदेश की एक प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की जावेगी।
- (iv) विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति के आधार पर सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष अभिदाता की पास बुक सहित दो प्रतियों में बिल कोष में प्रस्तुत कर राशि आहरित करेगा।

- (4) Withdrawal under sub-clause (a) or (b) of Rule 18 shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.
- (5) Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule but a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of Rule 18 for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

19. Procedure for permanent withdrawal :-

- (i) The account holder shall apply for permanent withdrawal upto the extent of his entitlement mentioned in Rule 16 or 17 or 18 as the case may be, by making application along with his pass book to the department in the form prescribed by the Director through his head of office.
- (ii) The Deputy/Assistant Director of the Department in the district of the posting of the account holder shall be authority competent to sanction permanent withdrawal.
- (iii) The department shall issue the sanction of permanent withdrawal in the sanction cum bill form prescribed by the Director. A copy of the sanction shall also be endorsed to the applicant.
- (iv) On the authority of the sanction given by the department, head of office concerned shall draw the amount by presenting the bill in duplicate to the treasury alongwith the pass book of the account holder.

विभाग का अधिकृत लिपिक बिल पारित करते समय आहरण की प्रविष्टि पास बुक में करेगा । सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष उसके द्वारा सत्यापित पास बुक सहित अभिदाता को राशि भुगतान करेगा ।

20. सेवा मुक्त होने पर खाता बंद होना :-

(अ) नियम 12 के प्रावधानानुसार कटौती बंद हो जाने के माह के आगामी माह में अभिदाता का खाता बंद कर दिया जावेगा ।

(ब) निदेशक खाता बंद किये जाने वाले वर्ष के दौरान लिये गये आहरण को कम करते हुए अभिदाता के खाते में जमा राशि पर अधिकार पत्र जारी करने के माह के पूर्ववर्ती माह तक के ब्याज सहित जमा राशि का भुगतान करेगा ।

(स) केवल मृत्यु के मामलों को छोड़कर अन्य समस्त मामलों में भुगतान अभिदाता को किया जावेगा । अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में भुगतान मनोनीत तथा मनोनीत न होने पर विधिक उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को किया जावेगा ।

21. अभिदाता के सेवा निवृत्त होने पर खाता बंद होने की प्रक्रिया :-

(i) खाते में अभिदान बंद किये जाने वाले माह से तीन माह पूर्व अभिदाता को उसके आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से या सीधे ही उसकी पास बुक एवं स्वत्व प्रपत्र सहित विभाग में दावा प्रस्तुत करने हेतु निदेशक सूचना प्रेषित करेगा ।

(ii) निर्धारित प्रपत्र में स्वत्व प्रपत्र प्राप्त हो जाने पर नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक खाता बंद करेगा । यदि खाता बंद होने वाले माह से पूर्व स्वत्व प्रपत्र प्राप्त नहीं हो तो निदेशक उसके पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर खाता बंद कर सकेगा ।

(iii) खाता बंदी की अनुपस्थिति में भुगतान पास बुक के आधार पर किया जावेगा । खाता बंदी में लुप्त प्रविष्टियां पूर्ण करने के लिये भी पास बुक अंतिम साक्ष्य मानी जावेगी ।

The authorised clerk of the department shall make the entry of the withdrawal in the pass book while passing the bill. The head of office concerned shall make the payment to the account holder along with pass book duly verified by him.

20. Closure of account on cessation of service : -

- (a) The account of the subscriber shall be closed in the month next to the month in which deposits shall cease as provided in rule 12.
- (b) The Director shall repay the balance in the account along with interest upto the month preceding the issue of payment authority after deducting withdrawal made during the year when an account is closed.
- (c) The payment shall be made to the account holder except in case of death when it shall be made to the nominee and in absence of nominee to the legal heir (s).

21. Procedure for closure of account when subscriber retires :-

- (i) The Director shall cause to issue a notice three months before the month in which deposit is to cease to ask subscriber to file claim along with claim form and pass book in the month of stoppage of deposit through his/her Drawing and Disbursing Officer or directly to the department.
- (ii) The Director shall close the account as provided in Rule 20 after receipt of claim form in the prescribed format. If the claim form is not received before the month in which the deposit is to cease, the Director can close the Account based on record available with him.
- (iii) In the absence of ledger, payment will be made on the basis of pass book. Pass book will also be taken as conclusive proof for completing gaps in ledger.

- (iv) अभिदाता / मनोनीत निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक क्षतिपूरक बॉड आवश्यक मुद्रांक सहित स्वत्व प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें निधि से अधिक भुगतान होना पाये जाने पर राशि वापस करने एवं निदेशक को ऐसी राशि पेंशन, उपादान एवं अभिदाता को राज्य सरकार से अन्य देय राशि से वसूल करने हेतु अधिकृत करने का वचन होगा ।

22. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया :-

अभिदाता के खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई है तो, संदाय होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु पर :-

(i) अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार छोड़ने की दशा में :-

(अ) यदि अभिदाता द्वारा नियम 5 के या इससे पूर्व प्रवृत्त तदनुसूची नियम के उपबन्धों के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में है, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश, जो नाम निर्देशन से सम्बंधित है, नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नाम निर्देशिनी या नाम निर्देशितियों को संदेय हो जायेगा ।

(ब) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है, या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाते में जमा रकम के एक अंश से ही सम्बंधित है, तो सम्पूर्ण रकम या उसका अंश, जो नाम निर्देशन से सम्बंधित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किये जाने हेतु तात्पर्यित किसी नाम निर्देशन के होते हुए भी उसके परिवार के सदस्यों को समान अंशों में संदेय हो जायेगा ।

- (iv) An Indemnity bond shall be furnished by the subscriber/nominee stamped and executed in the form prescribed by the Director alongwith claim form with an undertaking to refund and / or to authorise the Director to recover the amount of over payment from the fund, if any, from pension, gratuity and any other payment due to the subscriber from the Government.

22. Procedure on death of a subscriber :-

On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

(i) When the subscriber leaves a family -

- (a) If a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 5 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.
- (b) If no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares.

परन्तु निम्नलिखित को कोई अंश संदेय नहीं होगा :-

- (1) पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त करली है,
- (2) मृत पुत्र के पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त करली है,
- (3) विवाहित पुत्रियों, जिनके पति जीवित हैं,
- (4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों, जिनके पति जीवित हैं ।

यदि उपरोक्त खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न परिवार के कोई अन्य सदस्य हों ।

परन्तु यह और कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं, उसके बच्चे या बच्चों को उसी दशा में उसी अंश के समान हिस्से मिलेंगे जो अंश पुत्र, अभिदाता से उत्तरजीवी होने पर और प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से मुक्त कर दिये जाने पर प्राप्त करता ।

- (ii) अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार न छोड़ने की दशा में, यदि नियम 5 के या इससे पूर्व प्रवृत्ता तदनुसूची नियम के उपबन्धों के अनुसरण में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में अभिदाता द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में हो, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश, जो नाम निर्देशन से सम्बंधित है, नाम निर्देशन या नाम निर्देशितियों को, नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जावेगा ।

23. निधि में अवशेष राशि का अन्तारण :-

- (i) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य सरकार की प्रावधानी निधि योजना का खातेदार है एवं सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो अन्य प्रावधानी निधि में उसके खाते में अवशेष राशि विभाग के उसके खाते में जमा की जायेगी ।

Provided that no share shall be payable to -

- (1) sons who have attained majority ;
- (2) sons of a deceased son who have attained majority ;
- (3) married daughters whose husbands are alive ;
- (4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive ;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

- (ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 5 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

23. Transfer of balance from the Fund :-

- (i) If a person who is an account holder with a Provident Fund Scheme of any other Government is appointed on a civil post under the Government, the balance in his account with the other Provident Fund shall be deposited in his account with the Department.

(ii) इसके विपरीत स्थानान्तरण होने की स्थिति में उसके खाते में जमा राशि अन्य सरकार की निधि में अन्तरित की जायेगी ।

24. किसी भी न्यायालय द्वारा खाता अधिग्रहित / कुर्क न करना :-

इन नियमों के अनुसरण में सामान्य प्रावधायी निधि के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि अधिग्रहण और / या किसी डिक्री के क्रियान्वयन के लिये बिक्री से मुक्त है और ऐसी सम्पूर्ण राशि इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण यह किसी अन्य व्यक्ति को देय है, अधिग्रहण से मुक्त रहेगी ।

25. प्रबन्धन व्यय :-

प्रावधायी निधि योजना के प्रबन्धन के लिए आवश्यक व्यय राशि सरकार द्वारा सरकार में जमा प्रावधायी निधि पर देय ब्याज के अतिरिक्त बजट में प्रावधित की जाकर उपलब्ध कराई जावेगी ।

26. शक्तियों का प्रत्यायोजन :-

अन्तिम भुगतान के मामले में :-

(i) विभाग के उप/ सहायक निदेशक भुगतान योग्य राशि पर 2 वर्ष तक की अवधि का ब्याज स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे ।

(ii) विभाग के निदेशक / अतिरिक्त निदेशक भुगतान योग्य राशि पर अधिकार पत्र जारी किये जाने की वास्तविक तिथि तक ब्याज स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे ।

(iii) इन नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के अभिदाता होने के पात्र न होने की स्थिति में उससे प्राप्त राशि विभाग के उप/ सहायक निदेशक उक्त राशि विभाग में जमा रहने की अवधि के लिए नियम 14 (2) में विनिर्दिष्ट की गई दर से ब्याज सहित लौटाने के लिए अधिकृत होंगे ।

- (ii) In the case of a transfer vice-versa, the amount deposited in his account shall be transferred to the Fund of the other Government.

24. Account not to be attached by any Court :-

Money payable under General Provident Fund in pursuance of these rules are exempt from attachment and / or sale in execution of a decree and all such money shall remain exempt from attachment notwithstanding the fact that owing to the death of a Government servant, it is payable to some other person.

25. Management expenses :-

The expenditure required to manage the Provident Fund Scheme shall be provided by the Government to the department by way of allotment in the budget in addition to the interest allowed on the Provident Fund deposits with Government.

26. Delegation of powers :-

In the cases of final payment -

- (i) Deputy/Assistant Directors of the department will be authorised to sanction the interest on the payable amount upto a period of two years.
- (ii) Director/Additional Director of the Department will be authorised to sanction the interest on payable amount upto the actual date of issuing the authority.
- (iii) Deputy/Assistant Directors of the Department shall be authorised to return the contribution received from a person not eligible under these rules to be a subscriber with interest specified in rule 14(2) for the period for which amount remained deposited with the Department.

27. निर्वचन :-

इन नियमों के निर्वचन के सम्बंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय हेतु भेजे जायेंगे ।

28. शिथिलता प्रदान करने की शक्ति :-

जहां राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि इन नियमों के कियान्वयन से किसी विशेष प्रकरण में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होने पर, ऐसे प्रकरणों में वह कारणों को लिपिबद्ध करते हुए सम्बंधित नियम में आवश्यक सीमा तक शिथिलता प्रदान कर सकती है । परन्तु इस प्रकार का शिथिलन वित्त विभाग की सहमति से ही किया जायेगा ।

29. प्रत्यायोजन की शक्तियां :-

राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को इन नियमों के अन्तर्गत नियम 28 एवं 29 के अतिरिक्त, आवश्यक शर्तों के अधीन, शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगी ।

30. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

- (1) समय समय पर संशोधित राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधानी नियम, 1954, उस तिथि से, जिससे यह नियम प्रभावी होंगे, अप्रभावी हो जायेंगे ।
- (2) इन अप्रभावी नियमों के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य इस अप्रभाव को नजर अंदाज करते हुए, यह मानते हुए कि, मानों वह इन नियमों के अन्तर्गत किया गया है, प्रभावी रहेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. आदर्श किशोर

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

27. Interpretation :

Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Finance Department for decision.

28. Power to relax :

Where the Government is satisfied that the operation of any of these rules, causes undue hardship in any particular case, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that no such order shall be made except with the concurrence of the Finance Department.

29. Power to delegate :

Government may delegate to any of its officers subject to any conditions which it may think fit to impose, any power conferred upon or taken under these rules except the powers under rule 28 and 29.

30. Repeal and Saving Clause :

- (1) The Rajasthan Government Servants' General Provident Fund Rules, 1954 as amended from time to time shall stand repealed on the date these rules come into force.
- (2) Anything done under the rules hereby repealed shall, notwithstanding such repeal, shall continue in force as if it was done under these rules.

By order of the Governor.

Dr. Adarsh Kishore
Principal Finance Secretary
to the Government

(42)

परिशिष्ट 'घ'

सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटन

एवं मनोनयन स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र

(नियम 5 (1))

लेखा शीर्षक

खाता संख्या

(राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग के उपयोग हेतु)

1. कर्मचारी का नाम
2. पिता/ पति का नाम
3. पद नाम
4. विवाहित/ अविवाहित
5. कार्यालय का नाम
6. स्थाई निवास का पता

7. जन्म तिथि
8. प्रथम नियुक्ति तिथि
9. मूल वेतन
10. अंशदान की दर
11. मनोनयन :-

मनोनीत व्यक्ति का नाम व पता	अंशदाता से सम्बंध	आयु	अवयस्क होने पर संरक्षक का नाम व मनोनीत से सम्बंध	हिस्सा राशि
1.				
2.				
3.				
4.				

स्थान :

दिनांक :

अंशदाता के हस्ताक्षर

नाम

पद

पदस्थापन स्थान

उपरोक्त समस्त विवरण सेवा पुस्तिका / कार्यालय रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है ।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

के हस्ताक्षर मय पद की मोहर

मनोनयन के सम्बंध में जानकारी :-

सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवाएं) नियम, 1997 के अनुसार :

- (1) अंशदाता पत्नि/पति/संतान/संतानों, भाई बहन, माता या पिता को मनोनीत कर सकता है ।
- (2) यदि अंशदाता के उपरोक्त (1) में वर्णित कोई सम्बंधी नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है ।
- (3) अंशदाता द्वारा शादी से पूर्व मनोनयन की दशा में शादी के पश्चात पुनः मनोनयन करना आवश्यक है ।

नोट :- सौ तेली माता, पिता, भाई, बहिन या संतान भी उपरोक्त में सम्मिलित हैं ।

कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर


नये अंशदाताओं की सूची (जिनकी प्रथम कटौती माह से आरंभ की गई है)

[नियम (9)]

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	वेतन	अंशदान की राशि

हस्ताक्षर

आहरण एवं वितरण अधिकारी



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

पास बुक

सामान्य भविष्य निधि

नियम 10 (2)

नाम _____

पिता का नाम _____

खाता संख्या _____

अंशदाता का नाम

पद नाम

पिता का नाम

जन्म तिथि

घर का पता

मनोनीत व्यक्ति का नाम
और अंशदाता के साथ
उसका सम्बन्ध

बीमा एवं प्रावधायी निधि
विभाग में संधारित पास बुक
रजिस्टर का क्रमांक

सहायक / उपनिदेशक
बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

पद स्थापन रिकार्ड

कार्यालय का नाम (1)	कार्य ग्रहण करने की तारीख (2)	कार्यमुक्त होने का दिनांक (3)	हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष (4)

प्रावधायी निधि के खाते में व्यवहारों का आहर्ता एवं वितरण

कार्यालय का पूरा नाम व पता जहां कर्मचारी कार्यरत है	माह का नाम जिसमें कटौती की गई	टी.वी. नम्बर/ एनकेशमेन्ट दिनांक	कटौतियां /	
			अंशदान	अस्थायी आहरण की वापसी
1	2	3	4	5
	अप्रैल.....			
	मई.....			
	जून.....			
	जुलाई.....			
	अगस्त.....			
	सितम्बर.....			
	अक्टूबर			
	नवम्बर			
	दिसम्बर			
	जनवरी			
	फरवरी.....			
	मार्च.....			
	एरियर /अन्य जमा 1 माह.....			
	2 माह.....			
	3 माह.....			

कार्यालय आदेश
(नियम 15 (2))

1. कर्मचारी का नाम :
2. कर्मचारी का पद तथा विभाग का नाम जहां कार्य करता है ।
3. कर्मचारी का वेतन (रा. से.नियमों में यथा परिभाषित)
4. कर्मचारी का सामान्य/अंशदायी प्रावधानी निधि खाता सं.
5. अग्रिम देय धनराशि
6. अग्रिम देय धनराशि का कारण
7. नियम जिनके अन्तर्गत अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई है ।
8. आज की तिथि तक कर्मचारी के खाते में देय शेष धन राशि (जॉच के पश्चात)
9. कर्मचारी को पहले अग्रिम दिये गये ऋण में शेष धनराशि
10. पूर्व ऋण यदि है तो उसके भुगतान की तिथि ।
11. अग्रिम धनराशि वसूली की किस्तों की संख्या
12. प्रत्येक किस्त की धनराशि

स्वीकृताधिकारी

नोट :- बिल के साथ पास बुक प्रेषित करना आवश्यक है ।

विभागीय कार्यवाही हेतु

बिल संख्या वासुचर सं..... भुगतान का माह

राशि.....

मुख्य शीर्षक

8005 - राज्य भविष्य निधियां

01 - सिविल

101 - सामान्य भविष्य निधियां

विभाग का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि यह राशि किसी अन्य बिल द्वारा इससे पहले नहीं उठाई गई है ।

आहर्ताधिकारी(इं.इंग ऑफिसर)

के हस्ताक्षर एवं पद

कोषागार में कार्यवाही हेतु

बैंक/कोषागार(देजरी)

.....रुपये

(रू.)

के भुगतान हेतु राशि जांच कर

इन्द्राज किया ।

कोषाधिकारी

दिनांक

लेखाकार

स्थान

विभागीय कार्यवाही हेतु

निदेशक, बीमा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्यादिनांक

द्वारा प्राधिकृतरू. (रूपये) की राशि

प्राप्त हुई ।

आहर्ताधिकारी (इं.इंग ऑफिसर)

के हस्ताक्षर

पद

नाम बैंक/कोषागार (देजरी)

रकम प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर

रू. का भुगतान किया ।

रूपये प्राप्त किये ।

कोषाध्यक्ष

दिनांक

हस्ताक्षर

बैंक की कार्यवाही हेतु

रु. का भुगतान किया गया ।

दिनांक

बैंक की मोहर

व्यवस्थापक(मैनेजर) बैंक

महालेखाकार के कार्यालय में कार्यवाही हेतु

रु.

स्वीकृत

रु.

पर आपत्ति की गई ।

अधीक्षक

राजपत्रित अधिकारी

(53)

मूल प्रति

राज्य बीमा विभाग, राजस्थान - जयपुर

अधिकार पत्र

(नियम 19 (iii))

क्रमांक :

दिनांक

रूपये अंके (अक्षरे) से कम

प्रेषक :-

निदेशक,

राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग

राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषिति :-

विषय :- जी.पी.एफ खाता संख्या श्री

पुत्र श्री

महोदय,

आपको इसके द्वारा इस पत्र के पृष्ठ भाग में दिये गये चिट्ठे को विधिवत भरकर अपने जिले के कोषागार (ट्रेजरी) को प्रस्तुत करके निम्नलिखित विवरणानुसार रकम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । भुगतान की सूचना इस विभाग को देने की कृपा करें ।

यह भुगतान निम्नांकित मद में से किया जावेगा :-

8005 - राज्य भविष्य निधियां

01 - सिविल

101 - सामान्य भविष्य निधियां

विवरण

भुगतान की प्रकृति एवं कारण :-

भुगतान की राशि :-

राशि जिसको देय है :-

कोषागार में रकम उठाने के लिए अधिकार पत्र की अवधि इसकी तिथि से तीन महिने तक ही है ।

भवदीय

उप/सहायक निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग,

विभागीय कार्यवाही हेतु

बिल संख्या

वाउचर सं.....

भुगतान का माह

राशि.....

मुख्य शीर्षक

8005 - राज्य भविष्य निधियां

01 - सिविल

101 - सामान्य भविष्य निधियां

विभाग का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि यह राशि किसी अन्य बिल द्वारा इससे पहले नहीं उठाई गई है।

आहर्ताधिकारी(ड्राइंग ऑफिसर)

के हस्ताक्षर एवं पद

कोषागार में कार्यवाही हेतु

बैंक/कोषागार(ट्रेजरी)

.....रूपये

(रु.)

के भुगतान हेतु राशि जांच कर

इन्द्राज किया।

कोषाधिकारी

दिनांक

लेखाकार

स्थान

विभागीय कार्यवाही हेतु

निदेशक, बीमा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या दिनांक

द्वारा प्राधिकृत रु. (रूपये) की राशि

प्राप्त हुई।

आहर्ताधिकारी (ड्राइंग ऑफिसर)

के हस्ताक्षर

पद

नॉन बैंक/कोषागार (ट्रेजरी)

रु. का भुगतान किया।

दिनांक

कोषाध्यक्ष

रकम प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर

रूपये प्राप्त किये।

दिनांक

हस्ताक्षर

बैंक की कार्यवाही हेतु

रु..... का भुगतान किया गया ।

दिनांक

बैंक की मोहर

व्यवस्थापक(मैनेजर) बैंक

महालेखाकार के कार्यालय में कार्यवाही हेतु

रु.

स्वीकृत

रु.

पर आपत्ति की गई ।

अधीक्षक

राजपत्रित अधिकारी

**अंशदायी / सामान्य प्रावधायी निधि में जमा राशि के
अंतिम भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रपत्र
[नियम (21)]**

उप/ सहायक निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

विषय :-खाता संख्याश्री/श्रीमती.....
पदपुत्र/पुत्री श्री.....
स्थायी निवास स्थान.....

महोदय,

अंशदाता की दिनांकको सेवा निवृत्ति/सेवा मुक्ति/मृत्यु हो गई है
/हो गी/होने को है/ सेवा निवृत्त हो गया है । (आदेश की प्रति संलग्न है)

1. अंतिम कटौती का विवरण	कोष/उप कोष	भुगतान का दिनांक	माह	अंशदान की राशि	ऋण की कटौती	प्राप्त ऋण की राशि
2. प्रावधायी निधि खाता संख्या	अंतिम कटौती का माह		दर	मनो नीत का नाम आयु सम्बन्ध		
3. सेवा निवृत्ति/सेवा मुक्ति/ मृत्यु से पूर्व जो कटौती नहीं की गई उसका विवरण	कटौती नहीं किये जाने का कारण - दर एवं अवधि -					
4. सेवा निवृत्ति दिनांक से पूर्व 5 वर्षों में लिये गये अस्थायी ऋण या अंतिम आहरण का विवरण	ऋण का विवरण क. अस्थायी ऋण ख. अंतिम भुगतान आहरण		राशि	वाउचर संख्या	दिनांक	कोष/ उप कोष

में प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है ।

हस्ताक्षर प्रमाणित

स्थान :

दिनांक

हस्ताक्षर प्रमाणित

(किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा)

भवदीय

हस्ताक्षर अंशदाता/ दावेदार

पूरा नाम

पद/ सम्बंध

पता कार्यालय/ पत्र व्यवहार का

क्षतिपूरक बॉण्ड
(Indemnity Bond)
{नियम 21 (iv)}

मैं पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री स्थान

..... एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे निदेशक, राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि से अधिक राशि का भुगतान प्राप्त होने की स्थिति में मैं अधिक राशि विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में वापस विभाग में जमा करा दूंगा / दूंगी । मेरे द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा मुझे राज्य सरकार से देय पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य भुगतान में से अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती करने की सहमति देता / देती हूँ ।

हस्ताक्षर अंशदाता / मनोनीत

पदनाम

विभाग

पता